कुमार देवेन्द्र प्रौज्ज्वल, उप सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, द्वारा दिनांक–18.07.2018 को नगर पंचायत गोगरी जमालपुर में क्षेत्र भ्रमण/स्थल निरीक्षण एवं समीक्षात्मक बैठक की टिप्पणी:–

दिनांक–18.07.2018 को अधोहस्ताक्षरी द्वार नगर विकास एवं आवास विभाग के आदेश सं०–3725/ दिनांक–17.07.2018 के आलोक नगर पंचायत गोगरी जमालपुर में समीक्षात्मक बैठक की गई एवं स्थल निरीक्षण भी किया गया। समीक्षात्मक बैठक एवं स्थल निरीक्षण में कार्यपालक पदाधिकारी, कनीय अभियंता तथा कई वार्ड सदस्यगण उपस्थित हुए।

1. हर घर नल जल निश्चय योजना–

नगर पंचायत गोगरी जमालपुर क्षेत्रान्तर्गत जलापूर्ति योजना नगर पंचायत द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस योजना के तहत 20 वार्डों में कुल 34 योजनाओं का टेंडर किया गया है। जिसमें 05 योजना का कार्यादेश निर्गत किया गया है। 04 योजना का एकरारनामा संवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। 06 योजना का निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है एवं शेष योजनाऐं टेंडर की प्रक्रिया में है। एक योजना के कार्यान्वयन से 250(दो सौ पचास) परिवार एवं 34 योजनाओं के क्रियान्वयन से नगर पंचायत गोगरी जमालपुर के 8500(आठ हजार पॉच सौ) परिवार लाभान्वित होंगे। उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति को देखने हेतु स्थल निरीक्षण वार्ड सं० 07,10 एवं 18 में किया गया। पाया गया कि वार्ड सं०–18 में बोरिंग का कार्य संपन्न हो गया है एवं वार्ड सं०–07 एवं 10 में बोरिंग का कार्य चल रहा है। निदेश दिया गया है कि जहाँ बोरिंग का कार्य पूर्ण हो गया है उन वार्डों में पाईप बिछाने के साथ–साथ कनेक्शन का कार्य भी प्रारंभ किया जाय।

2. नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना–

नगर पंचायत गोगरी जमालपुर में कुल 25 योजनाओं की निविदा निकाली गयी थी जिनमें 05 योजनाओं का कार्यादेश निर्गत किया गया है एवं 06 एकरारनामा की प्रक्रिया में है। एक योजना पर कार्य प्रारंभ है एवं 01 योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है। 11 योजना पुनर्निविदा की प्रक्रिया में है। नाली गली निश्चय योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं रहने के कारण अपेक्षित कार्रवाई शीघ्र करने का निदेश दिया गया । अबतक कुल उपलब्ध राशि का मात्र 4.7 प्रतिशत ही व्यय हो पाया है।

3. स्वच्छ भारत मिशन–

कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नगर पंचायत गोगरी जमालपुर को ODF घोषित किया जा चुका है। कुछ लाभार्थियों के खाते में द्वितीय किस्त की राशि अबतक नहीं भेजी जा सकी है। नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई का निदेश दिया गया।

नगर विकास एवं आवास विभाग पत्र पंजी 23 JUL 2018 संख्या 8046 बिहार, पटना

डोर टू डोर कचरा प्रबंधन की कोई ठोस योजना अबतक नगर पंचायत द्वारा नहीं बनायी गयी है। सभी 20 वार्डों में कचड़ा प्रबंधन के लिए कार्य योजना बनाने एवं डंपिग जोन चिन्हित करने का निदेश दिया गया।

4. **सबके लिए आवास योजना–**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इस योजना के अन्तर्गत PHASE I में 257 के विरूद्ध 68, PHASE II के अन्तर्गत 986 के विरूद्ध मात्र 05 एवं PHASE III के अन्तर्गत 775 के विरूद्ध शून्य को तृतीय किस्त दिया गया है।

स्थिति इस प्रकार है:–

Phase	Sanctioned	MIS Entry	Ist Installment	2nd Installment	3rd Installment
Phase I	257	257	147	87	68
Phase Ii	986	779	145	45	5
Phase Iii	775	54	20	4	0

सबके लिए आवास योजना में नगर पंचायत गोगरी जमालपुर की प्रगति संतोषजनक नहीं रहने के कारण शीघ्र अपेक्षित सुधार का निदेश कार्यपालक पदाधिकारी को दिया गया। साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि PLAN OF ACTION (POA) और AIP विभाग को भेज दिया गया है।

5. **राज्य योजना–**

- राज्य योजना अन्तर्गत पथ निर्माण मद में ₹112898 राशि अबतक अवशेष है, जिसे कोषागार में जमा करने का निदेश किया गया।
- नाला निर्माण में एक बड़ी राशि ₹32821776 अबतक व्यय नहीं हो पाया है। बताया गया कि नाला निर्माण हेतु एक समेकित DPR बनया गया है जो कार्यपालक अभियंता DUDA खगड़िया को दिनांक–28.02.218 को भेजा जा चुका है।
- Civic Amenities में भी एक बड़ी राशि का ₹46810397 अबतक व्यय नहीं हुआ है। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उक्त राशि से दो विवाह भवन बनाये जाने हैं, जिसका DPR विगत एक वर्ष से विभागीय तकनीकी कोषांग में स्वीकृति हेतु लंबित है।
- **रैन बसेरा–** राज्य योजना से एक रैन बसेरा की योजना ली गयी है जिसकी प्राक्कलित ₹2789145 है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा आज रैन बसेरा का स्थल निरीक्षण किया गया। अबतक मात्र प्रथम तल की ही ढ़लाई हो सकी है। कार्यपालक पदाधिकारी को संवेदक से स्पष्टीकरण पुछने एवं शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया।
- **प्रशासनिक भवन–**प्रशासनिक भवन हेतु गोगरी जमालपुर को आवंटन विभाग द्वारा उपलब कराया जा चुका है। भूमि विवाद के कारण अबतक निविदा प्रकाशित नहीं हो पायी थी। अधोहस्ताक्षरी द्वारा आज उक्त सथल को भी देखा गया। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया कि भूमि विवाद का निपटारा हो गया और 15 दिनों के अन्दर निविदा प्रकाशित कर दी जायेगी।

6. <u>सम्राट अशोक भवन–</u>

इस मद में भी राशि प्राप्त है। निविदा भी प्रकाशित हुई एवं दो विडर के द्वारा निविदा भी डाली गयी थी। तकनीकी कारणों से यह प्रस्ताव अधीक्षण अभियंता के स्तर पर विभाग में लंबित है।

7. <u>NULM योजना–</u>

नगर पंचायत गोगरी जमालपुर में DAY NULM का कोई गतिविधि नहीं है और न ही कोई कर्मी इस निमित सम्बद्ध किये गये हैं। State Co-Ordinator को इस आशय का निदेश दिया जा सकता है, ताकि NULM के सभी घटकों पर कार्य प्रारंभ हो सके।

8. <u>होल्डिंग कर –</u>

नगर पंचायत गोगरी में कुल होल्डिंगों की संख्या–4876 है जो 20 वार्डों की तुलना में कम है। कार्यपालक पदाधिकारी को इस ओर विशेष ध्यान देने का निदेश दिया गया। अबतक वसूली 25.19 प्रतिशत है, जो चालू वित्तीय वर्ष के वसूली लक्ष्य से कम है। वसूली हेतु विशेष अभियान चलाने का निदेश भी दिया गया साथ ही Other Revnue श्रोतों को भी बढ़ाने हेतु प्रयास करने के लिए निदेशित किया गया।

9. <u>CASH BOOK-</u>

नव पदस्थापित कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा सिर्फ प्रपत्र 202 में प्रभार लिया गया है, अबतक Cash Book का प्रभार नहीं हो पाया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी को तीन दिनों के अन्दर कैश बुक का सम्पूर्ण प्रभार लेकर इसकी सूचना विभाग को देने का निदेश दिया गया।

10. लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन हेतु 15 दिनों का समय कार्यपालक पदाधिकारी को दिया गया।

11. <u>अनुसूचित जाति टोले का भ्रमण–</u>

कार्यपालक पदाधिकारी एवं स्थानीय वार्ड पार्षदों श्री रूस्तम जी के साथ वार्ड–10 अन्तर्गत अनुसूचित जाति बहुल टोले का भ्रमण किया गया। भ्रमण के क्रम में लाभुक श्रीमती संजो देवी पति–श्री सर्वेश दास, श्री विपिन दास पिता–श्री नागेशवर दास, श्री जलधर दास पिता–श्री नागेश्वर दास, श्री प्रदीप दास, पिता–श्री पलटु दास, आदि के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा मकान निर्माण के बावजुद अगला किस्त नहीं मिल पाया है। कार्यपालक पदाधिकारी को यहॉ विशेष शिविर आयोजित कर लंबित किस्तों के भुगतान का निदेश दिया गया। इसी प्रकार लाभुक श्रीमती ललिता देवी पति–श्री राजदीप दास, श्रीमती तेतरी देव पति–श्री मनोज दास आदि द्वारा बताया गया कि शौचालय निर्माण के बाद भी उन्हें सम्पूर्ण राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। कार्यपालक पदाधिकारी को शीघ्र कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

ह०/–
(कुमार देवेन्द्र प्रौज्ज्वल),
उप सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक– 3823 /न०वि०एवं.आ०वि०/पटना,दिनांक– 20/07/18

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी–02 नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/7/18

(कुमार देवेन्द्र प्रौज्ज्वल),
उप सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।